अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2019 (RCMS 2019/00074) श्री जय प्रकाश हिरवानी, मकान नं. जे–157, पार्श्वनाथ सिटी, सांगरियापाल बाई पास रोड, जोधपुर–342013 बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

31.10.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जय प्रकाश हरवानी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 10 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2019 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

> उपरोक्त विषय में संदर्भ में लेख है कि श्रीमान् तेजूमल वल्द माधवदास जाति सिन्धी क्लेम सं A/4000/249/5079/EAP के तहत उदयपुर उदासंर तहसील सूरतगढ में 34 बीघा 2 बिस्वा रकबा का आवंटन हुआ था। इसी प्रकार से भगवानदास बगूमल को मौजा मोहम्मदाबाद तथा संगीता आथूना तहसील सूरतगढ में रकबा आवंटन हुआ था। उक्त दोनों प्रार्थियों की भूमि राज. नहर हेतु अवाप्त कर ली गई है। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार जानकारी दे:
>
> 1. उदयपुर उदासर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 124, 122, 85 की कुल 34 बीघा 2 बिस्वा रकबा में से कुल कितने बीघा रकबा राज. नहर हेतु अवाप्त हुआ था। मय प्रमाण सूचना बिन्दुवार है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. अवाप्त की गई भूमि के एवज् में मुआवजा कितना रकबा दिया गया था। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दें।
3. मुआवजा रकबा किस स्थान पर दिया गयाथा। मय प्रमाण जानकारी दे।
4. यह मुआवजा कब दिया गया था। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।
5. मौजा मोहम्दाबाद तहसील सूरतगढ में खसरा नं. 13 मी (1–3) तथा संगीता आथूना में खं. नं. 11 मी0(24–6) कुल 25 बीघा 12 बिस्वा रकबा में से कितना बीघा राज. नहर हेतु अवाप्त हुआ था। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दें।
6. अवाप्त की गई भूमि के एवज में मुआवजा कितना रकबा दिया गया था। मय प्रमाण सूचना दे।
7. मुआवजा रकबा किस स्थान पर दिया गया है। मय प्रमाण सूचना दे।
8. यह मुआवजा कब दिया गया था। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।
9. उपरोक्त खसरों की तरमीमशुदा अधिप्रमाणित नक्शें की प्रति उपलब्ध कराएं।
10. इस सम्बन्ध में उपरोक्त बिन्दुओं के बाबत अन्य कोई सम्बन्धित दस्तावेज या सूचना हो तो उन सभी की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं।

चाही गई सूचना अत्यन्त सुगम, सुलभ एवं आसानी से उपलब्ध है। RTI Act-2005 के तहत सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध कराएं।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक सूकाअ/19/231 दिनांक 04.02.2019 से निम्नानुसर जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा तेजूमल व भगवानदास को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में बिन्दु सं. 1 ता 10 अनुसार सूचना का अधिकार के तहत सूचना चाही है। आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2''च''' अनुसार लोक प्राधिकरण द्वारा वही सूचना दी जा सकती है जो दस्तावेज, फ्लॉपी, सीडी अथवा अन्य रूप से संग्रहित है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.07.2008 अनुसार काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अथवा प्रश्न पूछना सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता है। सूचना जिस रूप से संधारित है उसी रूप में दी जा सकती है। खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना देय नहीं है। डा. सेल्सा पिन्टो बनाम लोक सूचना अधिकारी में मा. गोवा उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार सूचना सृजित करके नहीं दी जा सकती। पूर्ण विशिष्टियां आवश्यक है। आप द्वारा चाही गई सूचनायें सूचना का अधिकार दायरे में नहीं आता है। अतः आपका प्रा. पत्र दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर श्रीगंगागनर है। सूचना प्रेषित है।

—sd—
आवंटन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ** द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारजि की जाती है फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी कार्यालय के किसी निश्चित अभिलेख की प्रति चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। **आदेश की प्रति आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर